ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर, विकास खंड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर के विकास खंड **पच्छाद** ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया !

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्रीमति रोमिला देवी	01/04/2014 से 22/01/2016 तक
2	श्रीमति सुभद्रा देवी	23/01/2016 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01/04/2014 से 22/01/2016 तक
2	श्री उत्तम सिंह	23/01/2017 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर के लेखाओं अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	5	रोकड़ बही व बैंक शेषों में अन्तर	0.17
2	6	गृहकर की शेष वसूली	0.18
3	7	गृहकर व् दान के रूप में वसूली गई राशि का दुर्विनियोजन	0.58

4	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	12.35
5	**9**	पेशगी के रूप में आहरित की गई राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन	1.30
6	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय	----
7	11	जे.सी.बी चार्जीस का अनियमित भुगतान	1.65
8	12	क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना	3.37
9	13	बिना किसी बिल/वाउचर के राशि का भुगतान-आहरित राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन	6.23
10	14 व 15	मस्टरोलों पर अधिक अदायगी	0.06
11	22	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना	----
12	25	सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान	1.57

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक **04/08/2017** से **14/08/2017** तक ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः **11/2014, 04/2015, 3/201 7** व **02/2015, 11/2015, 09/2016** मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है ।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर, विकास खण्ड पच्छाद, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क

₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या जीपी (आडिट) /पच्छाद/2017-18-5 दिनांक 14/08/2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i) स्वःस्त्रोत:- ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर के अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 को स्व: स्त्रोतों से प्राप्त आय की वित्तीय स्थिति का विवरण **(परिशिष्ट-3)** :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	-------	140064.00	140064.00	123360.00	16704.00
2015-16	16704.00	156376.00	173080.00	95117.18	77962.82
2016-17	77962.82	188384.80	266347.62	165664.00	100683.62

नोट : ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है ! जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता-"क" में रखे जाने का प्रावधान है । अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

ii) अनुदान:- ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर के अवधि 01/4/2014 से 31/3/2017 की अनुदानों से प्राप्त आय की वितीय स्थिति का विवरण

(**परिशिष्ट–2**) के अनुसार निम्न प्रकार से है, तथा जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–2(A)** मे भी दिया गया है ।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2014-15	803211.24	1494853.00	2298064.24	1970455.00	327609.24
2015-16	327609.24	857589.00	1185198.24	985791.00	199407.24
2016-17	199407.24	1611590.00	1810997.24	575918.80	1235078.44

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करने पर पाया गया की पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही (वितीय स्थिति) तथा बैंक के शेषों में दिनांक 31/03/2017 को निम्नविवरणानुसार **₹17040** का अन्तर है जिसकी जाँच की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	स्व: स्त्रोत	100683.62	**3**
2.	अनुदान	1235078.44	**2**
3.	समेकित वितीय स्थिति के अनुसार शेष	1335762.06	**1**
4.	विभिन्न बैंकों में जमा राशि	1318722.06	**4**
5.	**कुल अन्तर**	**17040.00**	

<u>विभिन्न बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा राशि का ब्यौरा</u>

(परिशिष्ट– 4)

क्रमांक	अनुदान का नाम	बैंक का नाम	बचत खाता संख्या	31.03.2017
1.	सामान्य निधि	HPSCB, Sarahan	56610104117	1235881.86
2.	BRGF	-----do------	56610105649	1104.00
3.	MANREGA	-----do------	56610104684	--------------

4.	IAY	-----do------	56610104169	12917.00
5.	PMAGY	HPSCB, Narag	56610107423	68819.20
		बचत बैंक खातों में 31.03.2017 को जमा कुल राशि		**1318722.06**

नोटः– सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष

6 गृहकर के रूप में ₹0.18 लाख की शेष वसूलीः–

ग्राम पंचायत महलोग लाल टिककर के सचिव द्वारा आडिट मेमो संख्याः जी.पी.ऑडिट/पच्छाद/ महलोग लाल टिककर /2017–18–1 दिनांक 04/08/2017 के सन्दर्भ में उनके पत्र क्रमांक:MLT-21 दिनांक 14.08.2017 **(परिशिष्ट–5)** द्वारा गृहकर के बारे में जो सुचना प्रदान की गई उसके अनुसार दिनांक 31/03/2017 को गृहकर की **₹17600** निम्नतालिकानुसार वसूली हेतु शेष बताई गई ।

Year	**Number of Families**	**Rate of house tax**	**house tax due**	**House tax realized**	**House tax outstanding**
2014-15	313	30/-	9390/-	9390/-	--------
2015-16	347	30/-	10410/-	10410/-	--------
2016-17	352	50/-	17600/-	--------	17600/-
Total			**37400/-**	**19800/-**	17600/-

क्योंकि पंचायत सचिव द्वारा ग्रहकर की वसूली से सम्बन्धित **"मांग एवं वसूली पंजी"** का संधारण नहीं किया जा रहा है ऐसे में गृह कर के सम्बन्ध में वास्तविक वसूली योग्य राशि उक्त राशि से कहीं अधिक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । अतः उपरोक्त अनुसार गृहकर की **₹17600** की वसूली अतिशीघ्र की जाए, तथा साथ ही पंचायत सचिव इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर अभिलेख की पुनः जांच करते हुए वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके सम्बन्धित परिवारों से उसकी वसूली करके उसे पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त भविष्य में **मांग एवं वसूली पंजी** का संधारण भी किया जाये ताकि पंचायत को देय सही राशि का तुरन्त बोध हो सके तथा पंचायत को आय की हानि न हो।

7 गृहकर व दान के रूप में एकत्रित/वसूली गई ₹0.58 लाख का दुर्विनियोजनः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत सचिव द्वारा गृहकर **एवं** दान के रूप में निम्नतालिकानुसार वसूली गयी **₹57845** को पंचायत निधि के बचत बैंक खाते में जमा नहीं करवाया गया है, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है, जिस बारे विस्तृत जाँच की आवश्यकता है। क्योकि उपरोक्त दर्शाई गई राशि केवल अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाए गए अभिलेख (रसीदों) जिनका ब्यौरा

(परिशिष्ट-4) पर दिया गया है के अनुसार गणना (Calculate) की गई है इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि में सचिव द्वारा निम्न तालिका में दर्शाई गई रसीदों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य रसीदे (जोकि अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई) भी पंचायत की आय की वसूली हेतु जारी की गई है तो उक्त राशि का इससे कहीं अधिक होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जारी की गई रसीद बुक्स के भण्डारण से सम्बन्धित **रसीद बुक्स भण्डारण/स्टॉक रजिस्टर** के अंकेक्षण में पाया गया की उक्त अभिलेख यह नहीं दर्शा रहा था कि पंचायत को "**जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय**" से कब और किस Series की कितनी रसीद बुक्स प्राप्त हुई है और कौन सी रसीद बुक किस तिथि को तथा किस प्रयोजन हेतु जारी की गई है तथा कितनी रसीद बुक्स किस Series की स्टॉक में उपयोग हेतु शेष है। अतः उक्त प्रकरण में आधिकारिक जाँच की सिफारिश की जाती है ताकि उक्त अनियमितता की पूर्णतः जाँच कर इसकी गम्भिरता का पता लगाया जा सके। अतः उपरोक्त राशि को सम्बन्धित से नियमानुसार दंड ब्याज सहित वसूली कर निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए, तथा भविष्य में सरकारी आय/प्राप्ति की राशि को नियमानुसार बिना विलम्ब के सम्बन्धित कोष में जमा करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।

S.No	Rpt Book No.	Receipt No.	Amount (₹)	Rpt. Books Stock entry Page/entryNo.	Remarks
1.	**4075**	**19 to 98**	**12000/-**	**2/1**	**All receipts were**
2.	**1674**	**33 to 38**	**160/-**	**2/2**	**Issued without**
3.	**1675**	**95 to 100**	**900/-**	**2/3**	**date**
4.	**1676**	**1 to 100**	**6630/-**	**2/4**	**and signature**
5.	**1677**	**2 to 100**	**14850/-**	**2/5**	
6.	**1679**	**1 to 100**	**13450/-**	**2/6**	
7.	**1680**	**1 to 18**	**2180/-**	**2/7**	
8.	**1672**	**27 to 100**	**7675/-**	**2/8**	
	वसूली योग्य कुल राशि		**57845/-**		

(ii) उपरोक्त गृहकर की वसूली गई राशि में से **₹26,775** दिनाकं 09.06.2016 को सामान्य निधि की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 84 पर दर्ज की गई है तथा जिसके विरुद्ध उक्त तिथि में **सफेदी पंचायत घर** का खर्च दर्शाया गया है, परन्तु उक्त प्राप्ति व भुगतान को न तो प्रधान द्वारा रोकड़ बही में सत्यापित किया गया है और न ही उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई बिल/वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया और न ही ऐसा कोई खर्च पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार पंचायत द्वारा पारित किया था और न ही उक्त खर्च को वितीय वर्ष के दौरान सामान्य निधि से करने बारे कोई बजट प्रावधान किया गया था और न ही उक्त प्राप्ति व् भुगतान सामान्य निधि की वर्ष 2016-

17 की आय–व्यय तालिका में दर्शाया गया था (**परिशिष्ट–6**)। जिससे यह प्रतीत होता है की उक्त आय और व्यय की प्रविष्टि तैयार अभिलेख के साथ छेड़–छाड़ कर सक्षम प्राधिकारी की जानकारी के बिना की गई है, जोकि सरकारी अभिलेख के रख–रखाव से सम्बन्धित नियमों की पूर्णतः अवहेलना है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस तरह की गलतियों की पूनरावृति न हो इस बारे सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश दिए जाएँ, साथ ही रोकड़ बही में प्रत्येक प्राप्ति व् भुगतान की प्रविष्टि के बारे पूर्ण विवरण दर्ज करना तथा साथ ही उन्हें सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

8 अनुदान ₹12.35 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध कारवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–2)** के अनुसार दिनांक 31/03/201 7 तक अनुदानों से प्राप्त **₹12,35,078** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बंधित संस्था को किया जाये।

9 पेशगी के रूप में आहरित की गई ₹1.30 लाख का अस्थाई दुर्विनियोजन:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा पूर्व प्रधान श्रीमती रोमिला देवी को पटवार खाना मलाणु की बैढ़ की मुरम्मत हेतु निर्माण सामग्री को क्रय करने के लिए बी.आर.जी.ऍफ़. के खाता संख्या: 56610105649 से ₹30000 तथा वर्तमान प्रधान श्रीमती सुभद्रा देवी को सामान्य निधि (अनुदान 14th FC) खाता संख्या: 56610104117 से ₹1,00,000 (₹50,000 उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु तथा ₹50,000 उचित मुल्य की दुकान की मुरम्मत हेतु) निम्नविवर्णनानुसार पेशगी के रूप में दी गई थी । परन्तु सम्बन्धित प्रधानों द्वारा उपरोक्त पेशगी की राशि को उक्त प्रयोजन पर खर्च न करके उसे लम्बे अन्तराल तक अपने पास रखने के बाद सम्बन्धित खाते में जमा करवाया गया। जिससे यह प्रतीत होता है की आहरणकर्ता द्वारा राशि को बिना किसी उचित प्रयोजन के लम्बे अन्तराल तक अपने पास रखकर सरकारी धन का अस्थाई दुर्विनियोजन किया गया है, जिसके बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाये अन्यथा उपरोक्त राशि पर हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम खण्ड–1 (HPFR Vol-1) के नियम 10.5

सह पठित नियम 10.12(16)(ii) के अनुसार ब्याज कि राशि सम्बंधित प्रधान से वसूल कि जानी सुनिश्चित किया जाये। पेशगी राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	अनुदान	पेशगी की तिथि	चेक संख्या	पेशगी की राशि	पेशगी वापसी की तिथि	पेशगी लेने वाले का नाम
1	बी.आर.जी.ऍफ़.	09/04/15	338928	15000/-	01/03/17	रोमिला देवी
2.	---यथोपरी---	22/09/15	338937	15000/-	01/03/17	---यथोपरी--
3.	सामान्य निधि	23/03/16	341579	25000/-	09/06/16	सुभद्रा देवी
4.	---यथोपरी---	29/03/16	341586	25000/-	09/06/16	---यथोपरी--
5.	---यथोपरी---	08/04/16	341587	20000/-	09/06/16	---यथोपरी--
6.	---यथोपरी---	08/04/16	341589	20000/-	09/06/16	---यथोपरी--
7.	---यथोपरी---	22/04/16	341592	10000/-	09/06/16	---यथोपरी--
पेशगी की कुल राशि				**130000/-**		

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टोर/स्टॉक सामग्री का क्रय:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचिरिकताएं प्रावधित है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक के व ₹50,000 से कम राशि के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाना तथा ₹50,000 से अधिक राशि के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने का प्रावधान है ताकि ग्राम पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त हो सके । जबकि नियम 67 (3) (a) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा निविदा/कोटेशन्स आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है । परन्तु ग्राम पंचायत ने बिना उप समिति का गठन किये ही और नियमानुसार कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए बिना ही स्टोर/स्टॉक की सामग्री का क्रय किया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः उक्त व्यय/क्रय को नियमानुसार न

करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक व्यय/क्रय नियमानुसार तरीके से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों कि अवहेलना कर पंचायत द्वारा किये गये क्रय की कुछ मदों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है;

11 जे.सी.बी चार्जीस का ₹1.65 लाख का अनियमित भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर **₹1,64,500** का भुगतान बिना निविदाएं आमन्त्रित किये बिना ही किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 (5)(a)व(b) के अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि के भुगतान/क्रय के लिये कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य है । जबकि नियम 67(3) के अनुसार उक्त कार्यो हेतु कोटेशन्स/निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाना अनिवार्य था, जिनकी अनुपालना किये बिना ही पंचायत द्वारा जे.सी.बी को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त जे.सी.बी द्वारा करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सम्बन्धित कनिष्ट अभियंता/तकनीकी सहायक द्वारा अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिनकी अनुपस्तिथि में जे.सी.बी चार्जिस का लाखों रूपये का भुगतान तर्कसंगत व् उचित था नहीं कहा जा सकता । अतः सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा जे.सी.बी द्वारा करवाए गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख माप पुस्तिका इत्यादि आगामी अंकेक्षण के दौरान अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न ठेकदारों को जे.सी.बी चार्जिस का भुगतान करते समय कोई भी संवैधानिक कटौतियां नहीं की गई है जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदारों से निम्नवर्णित संवैधानिक कटौतियां की जानी वांच्छित थी ।

(क) आयकर 2%

(ख) सेल्स टैक्स 3%

(ग) प्रतिभूति राशि 10%

(घ) लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटोतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

जे.सी.बी चार्जीस का ₹1,64,500 के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रमांक	फर्म/ठेकेदार का नाम	बिल संख्या /दिनांक	कार्य के घंटे	दर प्रति घंटा ₹	कुल भुगतान ₹
		अनुदान : सामान्य निधि			
1.	अरुण कुमार खन्गोग	फ़ोटोस्टेट पैड	15	700	10000
2.	विजय कुमार शर्मा	188/ शून्य	72	700	49500
3.	जगमोहन सिंह, सिरमोरी मन्दिर	167/ 24.02.15	40	750	30000
4,		164/ 26.02.15	60	750	45000
5.	विजय कुमार शर्मा	183/ 18.05.15	42.85	700	30000
				कुल अदायगी	**164500**

(ii) उपरोक्त तालिका में **क्रम संख्या: 1** पर श्री अरुण कुमार खन्गोग को दर्शाया गया भुगतान Proper Bill पर नहीं बल्कि उनके विजीटिंग पैड की फोटोस्टेट प्रति पर जारी किये गए (Improper Bill) के आधार पर किया गया है जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित है, तथा तदानुसार किया गया भुगतान भी अनियमित है तथा वास्तविक भी प्रतीत नहीं होता। अतः उक्त दर्शाए भुगतान बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित की जाए।

12 क्रय की गई स्टोर/स्टॉक की सामग्री की प्रविष्टि न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त/क्रय की गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत महलोग लालटिक्कर के अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई विभिन्न मदों की स्टॉक प्रविष्टियाँ निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है जोकि नियमनुसार अपेक्षित थी। अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई कुछ मदें जिन्हें स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है।

क्रमांक	विक्रेता का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	क्रय की गई सामग्री	राशि
सामान्य निधि				

1.	अतुल अग्रवाल, सरांह	412/ 12.05.15	180 फुट रेत @ 40/-	7200/-
			300 फुट बजरी @45/-	13500/-
			1080 ईंटें @ 7/-	7560/-
2	मितल ट्रेडर्स, सरांह	4090/ 12.05.15	75 kg सरिया @ 38/-	2850/-
3.	संजय स्टोर, सरांह	4338/ 19.06.15	सरिया	30744/-
4.	-------do---------	4390/ 19.06.15	700 ईंटें @ 42.85	30000/-
5.	शर्मा ट्रेडर्स, नारग	585/ 12.09.14	15 bags Cement	4862/-
6.	-------do---------	584/ 12.09.14	120 kg steel @45/-	5418/-
(A)	**कुल=**			**102134**
	प्रधानमन्त्री आदर्श ग्राम योजना			
7.	विक्रम गुड्स केरियर	0025/ 04.10.15	230 फुट रेत @ 40/-	9200/-
			385 फुट बजरी @45/-	17325/-
			310फुट गटका @22/-	6820/-
8.	मान सिंह गुड्स	013/ 22.04.15	175 फुट रेत @ 40/-	7000/-
9.	मान सिंह गुड्स	014/ 29.04.16	317 फुट रेत @ 40/-	12680/-
			635 फुट बजरी@42/-	26670/-
			314 फुट गटका@18/-	5652/-
10.	विक्रम गुड्स केरियर	022/ 04.10.15	925 फुट रेत @ 40/-	37000/-
			823 फुट बजरी@45/-	37035/-
11	मित्तल ट्रेडर्स, सरांह	5245/01.09.16 5359/ शून्य	3000 tites-60mm 520 tiles	51188/- 8873/-
12.	GVM, Engineers		200 kg @ 68/-	15570/-
(B)	**कुल=**			**235013**
(C)	**(A+B)**			**337147**

अतः क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

13 ₹6.23 लाख का बिना किसी बिल/वाउचर के भुगतान-आहरित राशि का संभावित दुरुपयोग :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा **₹6,23,229 (परिशिष्ट-7)** की राशि का भुगतान/आहरण बिना किसी बिल/वाउचर के दर्शाया गया है । उक्त आहरण/भुगतान से सम्बन्धित कोई भी बिल/वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः सम्बन्धित खातों से इस प्रकार किया गया आहरण/भुगतान पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47(1) व (2) की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण अनियमित है, तथा जोकि आहरित राशि का दुर्विनियोजन प्रतीत होता है। अतः इस मामले की विस्तृत/अधिकारिक जांच की जाए तथा वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए ।

14 मस्टररोल संख्या:12139 में वास्तविक देय राशी से ₹1072 का अधिक भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य सड़क हाब्बी शिवा- डंगे पुलिया इत्यादि में मस्टरोल संख्या: 12139 अनुसार कुल ₹20550 देय थी जबकि उक्त मस्टररोल पर ₹21622.{ चेक संख्या: 457312, 313 व् 314 द्वारा क्रमशः 1800+900+18922 } का भुगतान किया गया है जो कि वास्तविक देय राशी से ₹1072.(21622-20550) अधिक है जिसे उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 मस्टररोल पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दर से भुगतान कर ₹4889 का अधिक भुगतान :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की मस्टर रोल्स पर मजदूर/मिस्त्री को उनके लिए सरकार द्वारा निर्धारित दिहाड़ी दर से अधिक दर से भुगतान कर निम्नतालिकानुसार **₹4889** का अधिक भुगतान किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सामान्यनिधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त अधिक भुगतान का ब्यौरा निम्न प्रकार से है;

अनुदान:- सामान्य निधि									
Sr. No.	**Date**	**M/R No**	**Labour Category**	**Days**	**Rate paid**	**Approvd Rate**	**Per day excess paid**	**excess payment**	**Remarks:- <u>Notification No.Fin-(PR)B(7)-33/ 2010-dated</u>**
A	B	C	D	E	F	G	H	I(ExH)	J

1.	31.03.16	12142	Masson	15	271/-	222/-	49/-	735/-	-do- 17.04.15
अनुदानः- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना									
2.	28.02.16	12190	---do---	13	301/-	222/-	79/-	1027/-	-do- 17.04.15
3.	09.04.15	12177	---do---	53	271/-	212/-	59/-	3127/-	-do- 24.05.14
Total excess payment								**4889/-**	

16 सीमेंट को HPSCSC, Ltd से न खरीदकर ₹1179 का अधिक भुगतानः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा सीमेंट की खरीद (निम्न तालिकानुसार) HPSCSC, Ltd से न करके निजी विक्रेताओं से की गई है जिसके कारण पंचायत निधि से **₹1179** का अधिक भुगतान हुआ है जबकि उक्त खरीद से पूर्व पंचायत द्वारा HPSCSC, Ltd से सीमेंट की आपूर्ति न करने बारे कोई भी अनापत्ति (NOC) प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था क्योकि ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः उक्त खरीद को HPSCSC, Ltd से न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये, अन्यथा उक्त राशि को सम्बन्धित से वसूलकर पंचायत निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए । सीमेंट की उक्त खरीद का ब्यौरा निमनानुसार है !

सामान्य निधि

क्रम संख्या	**विक्रेता का नाम**	**बिल संख्या/ दिनांक**	**सीमेंट की मात्र**	**प्रति बैग दर (₹)**	**HPSCC की दरें (₹)**	**अधिक भुगतान (₹)**
1	शर्मा ट्रेडर्स, नारग	585/12.9.14	15 बैग	324/-	245.40	1179/-
	कुल अधिक अदायगी					**1179/-**

17 मनरेगा योजना के अंतर्गत खर्च राशी से सम्बन्धित अनियमितताएँ:-

(i) वितीय वर्ष 2015-16 व् 2016-17 की रोकड़ बही संधारित न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत सचिव द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान व् खर्च की गयी राशी को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया है, जबकि उक्त अवधि में सचिव ग्राम पंचायत महलोग लाल टिककर द्वारा प्रदान की गई Online Financial Statements के अनुसार विभिन्न विकास कार्यो पर वर्ष 2015-16 में **₹2,19,366** तथा वितीय वर्ष 2016-17 में **₹5,65,580**. का Online भुगतान किया गया है। उक्त प्राप्ति व भुगतान का रोकड़ बही में दर्ज न होने के कारण न तो उन्हें वितीय स्थिति में शामिल किया जा सका और न ही सम्बन्धित अभिलेख के साथ उसकी अंकेक्षण से सम्बन्धित जाँच की जा सकी । अतः उक्त अवधि की रोकड़ बही को संधारित न करने बारे ओचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये, तथा भविष्य में नियमानुसार अभिलेख को तैयार करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) ₹1,39,348 का बिना बिल/वाउचरस के आहरण/भुगतान:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की चयनित माह 02/2015 में खर्च की गई ₹**1,39,348** का भुगतान बिना बिल/वाउचरस के ही किया गया है क्योकि उक्त भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचरस अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए और न ही खरीदी गई सामग्री के उपयोग से सम्बन्धित स्टोर/स्टोक अभिलेख तथा उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं भी अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई । अतः बिना बिल/वाउचरस तथा सामग्री की खपत से सम्बन्धित अभिलेख की अनुपस्थिति में दर्शाया गया भुगतान अनियमित है, तथा जिसकी जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं कि जा सकी जिसकी अधिकारिक जाँच की सिफारिश की जाती है, तथा भुगतान की पुष्टि न होने की स्थिति में उपरोक्त राशि तथा इसके अतिरिक्त बिना बिल/वाउचरस व सम्बन्धित वांछित अभिलेख के किये गए भुगतान को उचित स्त्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए, तथा भविष्य में अभिलेख का रख-रखाव नियमानुसार ही किया जाए ताकि उपरोक्त अनियमितताओं से सरकारी कोष को होने वाले नुकसान की सम्भावना को टाला जा सके । उपरोक्त भुगतान की राशि का ब्यौरा निम्नतालिकानुसार है जिसमें बिल वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गए;

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**सामग्री का ब्यौरा**	**भुगतान की राशि**	**रोकड़ पृष्ट**
1	गली प्लगिंग, डिगरी धिन्नी	M/R-3837	15246/-	53
2	PCC Soling Road लाल टिककर	M/R-3839	8470/-	53
3	भूमी सुधार यश पाल, डिगरी धिन्नी	M/R-3838	13552/-	54
4	टैंक जगमोहन, दाभाडा	60b Cement	13920/-	54
5	टैंक धनि सिंह, दभाडा	60b Cement	13920/-	54
6	टैंक किशन सिंह, छिल्लड	60b Cement	13920/-	54
7	टैंक बीर सिंह, कोफ्फर	80b Cement	18560/-	54
8	टैंक राजेंदर सिंह, डिगरी धिन्नी	60b Cement	13920/-	55
9	टैंक पालू राम, भड़ेंजी	60b Cement	13920/-	55
10	टैंक शकुन्तला देवी, मल्होटी	60b Cement	13920/-	55
		कुल भुगतान	**139348/-**	

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त मनरेगा योजना की अवधि 01/04/2014 से 31/03/2015 के दौरान रोकड़ बही में दर्ज प्राप्ति तथा भुगतान की राशि की कोई भी प्रविष्टि प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी, जबकि नियमानुसार सभी भुगतान सचिव व प्रधान द्वारा सत्यापित किए जाने चाहिए थे। रोकड़ वही को सत्यापन उपरान्त आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

18 सामान्य निधि से ₹90,000 का अज्ञात व्यय:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की सामान्य निधि की वितीय वर्ष 2016-17 की आय-व्यय विवरणी के **क्रम संख्या 15 (परिशिष्ट-6)** के अनुसार **₹90,000** का अज्ञात व्यय दर्शाया गया है जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त व्यय से सम्बंधित अभिलेख मदवार शीर्षवार आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाए अन्यथा उक्त राशि को उचित स्त्रोत से वसूलकर सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

19 स्टेज GMS दभाडा के निर्माण कार्य में प्राप्त अनुदान से ₹14367 का अधिक व्यय:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की सामान्य निधि की वितीय वर्ष 2016-17 की आय व्यय विवरणी के **क्रम संख्या 8 (परिशिष्ट-6)** के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु वितीय वर्ष के दौरान **₹50,000** प्राप्त हुई है जबकि उक्त कार्य पर वर्ष के दौरान **₹64,367** का व्यय दर्शाया गया है इस प्रकार उक्त कार्य पर वितीय वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान से **₹14,367** का अधिक व्यय किया गया है जिस बारे यह स्पष्ट किया जाए की उक्त कार्य हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत है । यदि उक्त कार्य हेतु कुल स्वीकृत ₹50,000 है तो स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई **₹14,367** को उचित स्त्रोत से वसूली कर सामान्य निधि में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

20 ₹2.33 लाख का अज्ञात अनुदान:-

वितीय वर्ष 2016-17 की आय व्यय विवरणी के **क्रम संख्या 5(परिशिष्ट-6)** के अनुसार **₹2,33,225** का अज्ञात अनुदान दर्शया गया है जिस बारे फंडिंग एजेंसी से पत्राचार कर यह ज्ञात किया जाए की उक्त राशि किन विकास कार्यों हेतु प्राप्त हुई है ताकि नियमानुसार प्राप्त राशि को सही कार्यों पर ही खर्च किया जा सके।

21 सामान्य निधि खाते से ₹2.62 लाख का नकद आहरण कर बिना पावती प्राप्त किये दर्शाया गया भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत सचिव द्वारा निम्नतालिका में दर्शाए गए भुगतान प्राप्त करता को चेक द्वारा न करके चेक द्वारा बैंक से नकद राशि का आहरण करके नकद राशि में दर्शाया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17(2) की अवहेलना है जिसके अनुसार ₹1000 से अधिक की राशि का भुगतान मात्र चैक से ही किए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना न करके पंचायत सचिव द्वारा चेक से राशि आहरित करके विभिन्न पक्षों को **₹2,62,280** का भुगतान नगद रूप में किया है, जो की उक्त नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक

है। अतः सम्बन्धित पक्ष को राशि का भुगतान चेक द्वारा न किये जाने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य मे ₹1000 से अधिक की राशि का भुगतान चैक द्वारा ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त इन नगद भुगतान की गई राशियों से सम्बन्धित कोई भी रसीद/पावती भी अभिलेख में संलग्न नहीं पाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 50 के अनुसार ₹1000. से अधिक की राशि के भुगतान की सम्बन्धित पक्ष से रसीद प्राप्त करने का प्रावधान है । अतः इस अनियमितता बारे भी औचित्य स्पष्ट किया जाए। यदि भुगतान सम्बन्धित पक्ष को कर दिया गया है तो सम्बन्धित से उसकी पक्की रसीद/पावती प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए अन्यथा ₹**2,62,280** को उचित स्त्रोत से वसूलकर पंचायत निधि मे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Date	**Detail of Expenditure**	**Cheque No.**	**Detail of withdrawal as per pass book**	**Amount**
30.09.14	Refreshment	338980	To Cash	3000/-
30.09.14	------do-------	338981	To Cash	3000/-
09.10.14	Hon. PRI,s	338982	To Cash	25200/-
05.03.15	Dustbin TSC	338997	To Cash	15000/-
05.03.15	White wash	338999	To Cash	20000/-
10.04.15	Hon. PRI,s	341556	To Cash	17700/-
09.06.15	Refreshment	341558	To Cash, Rajesh	4000/-
09.06.15	Baundi-13th FC	341560	To Cash, Rajesh	30260/-
09.07.15	L/R Laltikkar	341567	To Cash, Rajesh	6000/-
09.07.15	RainShelterkofar	341568	To Cash, Rajesh	12000/-
09.07.15	L/R Laltikkar	341570	To Cash, Rajesh	4000/-
09.10.15	Hon. PRI,s	341573	To Cash	35400/-
22.04.16	Hon. Chowkidar	341590	To Cash	13680/-
11.07.16	Hon. PRI,s	341597	To Cash	21560/-
16.07.16	Hon. PRI,s	341599	To Cash	31480/-
06.08.16	Hon.TT	341600	To Cash	12000/-
28.09.16	Toilet Panchayat Ghar	581976	To Cash	8000/-
			Total Cash Drawl	**262280**

22 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही तरीके से रख-रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता

प्रमाण-पत्र इत्यादि से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए विकास कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाए अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई। जिनकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च किये गये लाखों रूपये के व्यय की माप पुस्तिकाओं तथा सम्बन्धित अभिलेख के अनुसार जाँच नहीं की जा सकी । जिससे विकास कार्यो पर दर्शाया गया व्यय प्राक्कलन व् अधिकारिक अनुमोदन के अनुसार सही था भी या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी और न ही कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति ज्ञात हो सकी। अतः उक्त अभिलेखों को प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उन्हें पूर्णतः तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाए जा रहे लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की पूर्ण जाँच सम्भव/सुनिश्चित हो सके।

23 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

24 रोकड़ बही तथा खाताबही का उचित तरीके से संधारण नहीं किया जाना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के अंतर्गत पंचायत द्वारा संधारित की गई **रोकड़ बहियां** तथा **खाताबहियों** का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही केवल नाम की रोकड़ बही है जबकि इसका संधारण रोजनामचे की तरह किया जा रहा है अर्थात इसमें ना तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन पर कोई नियंत्रण नही रह जाता तथा रोकड़ बही बैंक में पंचायत के खाते में मौजूद शेष राशि के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसी प्रकार खाता बही में भी न तो कोई इति शेष है और न ही कोई अंतिम शेष। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा सन्तुलनपत्र की मदें विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

25 सक्षम प्राधिकारी व तकनीकी प्राधिकारी से सत्यापित व मूल्यांकित करवाए बिना ₹1.57 लाख के मस्टर रोल्स की राशि का भुगतान:-

(i) व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया की मस्टर रोल्स द्वारा किये गये **₹1,56,623** के भुगतान को सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही इन पर करवाए गए कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई जिसकी अनुपस्थिति में उक्त मस्टर-रोल्स द्वारा किये गये भुगतान सही थे अथवा नहीं, तथा भुगतान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनका आकलन व मुल्यांकन कर लिया गया था इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उक्त मस्टर-रोल्स पर करवाए गए कार्यो का मुल्यांकन कर यदि किया गया भुगतान मुल्यांकन से अधिक पाया जाता है की उचित स्रोत से वसूली कर सम्बन्धित कोष में जमा किया जाए तथा भविष्य में मस्टर-रोल्स की अदायगी से पूर्व उन्हें सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित/मूल्यांकित करने तथा सतर्कतता समितियों द्वारा कार्य के सही एवम पूर्ण होने बारे सत्यापित करने के उपरान्त ही उनकी राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

मस्टर-रोल्स के बिना सत्यापन व् तकनीकी मुल्यांकन के किये गए भुगतान का ब्यौरा

मस्टर-रोल की अवधि	कार्य का नाम	मस्टर-रोल्स नं	राशि
	सामान्य निधि		
01.03.16 से 31.03.16	शमशानघाट, डिंगरी	12142	12525
01.08.14 से 31.08.14	शोचालय आंगनबाड़ी लाल टिककर	12175	4953
	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना		
15.02.16 से 28.02.16	नि. कुहल बड़ियों से घराट	12190	26953
01.03.16 से 31.03.16	नि. सड़क शेवला	12186	13016
09.08.2014	नि. क्रेटवायर शेवला	12172	22423
29.08.2014	नि. क्रेटवायर शेवला	12174	7650
---------------	नि. सड़क हाब्बी शेवला-डंगे पुलिया	12177	69103
		योग	156623

(ii) उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए मस्टर-रोल्स पर संलग्न (**परिशिष्ट-8**) में दर्शाए गए मजदूर/दिहाड़ीदार को किये गए **₹39,871** के भुगतान की पुष्टि नहीं

की जा सकी क्योंकि सम्बन्धित मजदूर/दिहाड़ीदार से भुगतान की गई राशि की प्राप्ति से सम्बन्धित रसीद न तो मस्टर-रोल्स बिल पर ली गई थी और न ही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की गई। जिसकी अनुपस्थिति में उक्त आहरण संदेहास्पद प्रतीत होता है। जिस बारे वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा वास्तविक भुगतान से अधिक आहरित की गई उक्त राशि को सम्बन्धित कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ।

इसके अतिरिक्त उक्त मस्टर-रोल्स को न तो बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया था, और न ही भुगतान करने से पूर्व इन में से अधिकतर को पंचायत प्रधान और सचिव के द्वारा सत्यापित व पारित किया गया था, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 48 व 49 की अवहेलना है । अतः इन अनियमितताओं के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस बारे अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए।

26 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों /कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका आदि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि तथा सरकार से प्राप्त अनुदान से किया गया है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान न तो उक्त भुगतान से सम्बन्धित **मानदेय रजिस्टर** प्रस्तुत किया गया और न ही मानदेय प्राप्ति की सम्बन्धित द्वारा दी गई रसीद ही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई, जिसके अभाव में उक्त भुगतान का वास्तविक देय राशि से अधिक भुगतान हो जाने पर नियन्त्रण नहीं रह जाता क्योंकि मानदेय के भुगतान हेतु प्राप्त अनुदान तथा तदानुसार उसका सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान का रख-रखाव सामान्य निधि खाते में ही किया गया है, जहाँ से इसका अधिक भुगतान हो जाने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके आभाव में मानदेय का दर्शाया गया भुगतान सही था भी या नहीं इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी । अतः वांछित अभिलेख नियमानुसार तैयार न करने बारे स्थति स्पष्ट की जाए ।

27 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया

था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

1. अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर |
2. रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी |
3. चल अचल संपत्ति का रजिस्टर |
4. आकस्मिक व्यय रजिस्टर |
5. अग्रिमों का रजिस्टर|
6. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर |
7. प्राक्कलन,तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर|
8. मांग व् प्राप्ति रजिस्टर।
9. स्टेशनरी रजिस्टर।
10. निर्माण सामग्री स्टोर रजिस्टर।
11. मस्टर रोल्स इशू रजिस्टर।
12. इन्वेंटरी रजिस्टर।

28 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

29 लघु आपत्ति विवरणिका :-

i) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49(1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक की ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त: हस्ताक्षरित न किया गया हो । अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

ii) पंचायती राज वित्त नियम, 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस व्यय को पारित किये जाने से सम्बंधित प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

30 **निष्कर्ष:–** पंचायत का कोई भी अभिलेख नियमानुसार सही तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा है जिस बारे विभागीय स्तर पर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में समस्त अभिलेखों का रख–रखाव नियमानुसार सुनिश्चित हो सके।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)12/2018 खण्ड–1–910–913 दिनांक06.02.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत महलोग लाल टिक्कर, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881